1. जगन्नाथ पिता देवीलाल गुर्जर निवासी नाथूराम जी का खेडा तह0 बेगूं
2. हंगामी पति देवीलाल गुर्जर निवासी नाथूराम जी का खेडा तह0 बेगूँ
3. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ जरिये राज0सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री तूफानसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी
श्री सत्यनारायण माली
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 11.11.2021

निर्णय वादपत्र अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली को वास्ते निस्तारण प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प सुवाणिया पर रखाया गया। वादी ने अपने वादपत्र में निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की ग्राम नाथूराम जी का खेडा प.ह. सुवाणिया तह. बेगूं में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है, जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
27	41	0.6550
	1	0.6550 हैक्टर
102	323/17	0.3240
	1	0.3240 हैक्टर
102	118	0.0160
	119	1.5780
	120	0.5750
	149	0.3400
	150	2.1210
	किता–5	4.6300हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

देवीलाल
|

हंगामी	जगन्नाथ	रामलाल उर्फ हुण्डा उर्फ सुण्डा
पत्नि	पुत्र	पुत्र

यह कि वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरण किया गया उसमें वादी का घर का बोलता हुआ नाम हुण्डा उर्फ सुण्डा पटवारी हल्का द्वारा लगवा दिया गया जबकि वादी के समस्त रेकार्ड में जिनमें पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में नाम रामलाल ही दर्ज है। यह कि वादी के नाम एक बन्दुक लाईसेन्स श्रीमान तहसीलदार सारहब बेगूँ द्वारा जारीशुदा है जिसमें वादी का नाम रामलाल उर्फ हुण्डा गुर्जर है। पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किये बिना ही वादी का खाते में नाम केवल हुण्डा उर्फ सुण्डा पिता देवीलाल लिख दिया गया था जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम रामलाल पिता देवीलाल दर्ज है।

वाद कारण दिनांक 06.05.2019 को वादी द्वारा अपने उ[illegible] खात[illegible] नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती की जानकारी हुई इस [illegible] दिनांक 06.05.2019 से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। [illegible] का खेडा [illegible] सुवाणिया तहसील बेगूँ में स्थित होने से वाद [illegible] एवं क्षैत्राधिकार मान[illegible] न्यायालय आपको होने से वाद वपत्र न्यायालय समायत आप है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय श्रीमान वादी आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

क– कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे कि माजा ग्राम नाथूराम जी का खेडा प.ह. सुवाणिया तह0 बेगूँ की आहराजी नम्बर 41,323/17 व आराजी नम्बर 118,119,120,149,150 में वादी के नाम हुण्डा सुण्डा के साथ साथ उर्फ रामलाल अर्थात हुण्डा सुण्डा उर्फ रामलाल पिता देवीलाल गुर्जर दर्ज किये जाने की घोषणात्क आज्ञप्ति फरमायी जावें।

ख– कि वकील मेहनताना भी वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

ग– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माली ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा हेतु अवसर चाहा गया। दावा पत्रावली न्यायालय में वास्ते जवाब दावा हेतु विचाराधीन थी उक्त दावा पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प सुवाणिया पर रखाया गया जिसमें वादी रामलाल पिता देवीलाल एवं वादी के भाई जगन्नाथ पिता देवीलाल द्वारा अपने अपने बयान दर्ज करा नाम रामलाल पिता देवीलाल किये जाने का निवेदन किया गया है।

कैम्प में वादी द्वारा अपने बयान के साथ साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें ग्राम पंचायत सुवाणिया द्वारा पारित प्रमाण पत्र जिसमें नाम रामलाल होना ही अंकित किया है। साथ ही नकल जमाबंदी मौजा नाथूराम जी का खेडा खाता संख्या 24 का अवलोकन किया जिसमें रामलाल पिता देवीलाल गुर्जर दर्ज कियेजाने की स्वीकृति का नोट अंकित है। प्रस्तुत आधार कार्ड में रामलाल पिता देवीलाल अंकित है। उपरोक्त प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि मामला नाम शुद्धि का है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है,दावा डिक्री किया जाता है। आदेश दिये जाते है कि मौजा नाथूराम जी का खेडा ह.ह. सुवाणिया की आराजी नम्बर 41, 323/17 व आराजी नम्बर 118, 119, 120, 149, 150 में वादी का नाम रामलाल पिता देवीलाल गुर्जर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प सुवाणिया पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा–ाा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:48:37 IST
Reason: SelfAttested